न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मिनाक्षी यादव बनाम भूमिधारी तहसीलदार

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रार्थनापत्र

मु.नं.-1/2019

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

/2020 दिनांक 15.09.2020 एंव उप तहसीलदार अजीतगढ़ से जरिये पत्रांक 41 दिनांक 08.01.2019 के द्वारा प्राप्त फर्द मौका जॉच रिपोर्ट के द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न पुराने व नये नक्शा ट्रेस में डोटेड लाईन से वर्णित प्रस्तावित स्थल को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। जिसे प्राकृतिक न्याय की भावना से दुरूस्त किया न्यायसंगत उचित प्रतित होता है।

"आदेश"

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल0 आर0 एक्ट का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2061/भू.अ./2020 दिनांक 15.09.2020 के द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न पुराने नक्शा ट्रेस व नवीन नक्शा ट्रेस के आधार पर नक्शा ट्रेस में दर्शित डोटेड लाईन अनुसार नक्शे में भूमि खसरा नम्बर 1295 व 1296 के मध्य की सीमा को दुरूस्त कर तरमीम किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर व उप तहसीलदार अजीतगढ़ से प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न नक्शा ट्रेस को उक्त निर्णय/आदेश का भाग बनाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही की जावें। इस दुरूस्ती से इन खसरा नम्बरान् में प्रभावित होने वाली पूर्व में हो रही तरमीमें भी मुताबिक रिकार्ड दुरूस्त की जावें। इसी अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

10695/RA
24-9-20

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2020.09.25 11:35:33 IST
Reason: SelfAttested